

**कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़**

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं 0771-2511920, फ़ैक्स नं : 2511918 ईमेल –rscs.coop@nic.com

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 267

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 19.01.2021

प्रति,

1. संयुक्त/उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ़,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
(समस्त) छत्तीसगढ़.

विषय:- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठक में विभागीय प्रतिनिधित्व बाबत।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी, 1960 नियम तथा 1962 तथा बैंको के पंजीकृत उपविधियों में प्रावधान अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में निर्वाचित व पदेन संचालकों के अतिरिक्त शासन द्वारा नामांकित संचालक में पंजीयक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। बैंक के पंजीकृत उपविधि में बैंक के मुख्यालय के प्रभारी उप पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित संचालक थे किन्तु राज्य विभाजन एवं जिलों के पुनर्गठन पश्चात् बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत राजस्व इकाईयों के विभाजन पश्चात् संभागीय संयुक्त पंजीयकों द्वारा बैंक के बोर्ड एवं उप समितियों में प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है। वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत संभागीय संयुक्त पंजीयक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के विभिन्न बैठकों में उपस्थित होते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-23/15-02/2015/2, दिनांक 26.10.2017 द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन अंतर्गत संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग को संभाग अंतर्गत समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है जिसके तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंधित अधिनियम अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण भी सम्मिलित है तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में अद्यतन संशोधन दिनांक 14.10.2020 द्वारा धारा 78 में संशोधन पश्चात् प्रकरणों पर प्रथम अपील भी संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा सुना जाना है।

अतः पूर्व में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की बोर्ड एवं विभिन्न उपसमितियों की बैठक में उपस्थिति के संबंध में जारी समस्त निर्देशों को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बोर्ड तथा उप समितियों की बैठकों में बैंक मुख्यालय के जिला में पदस्थ उप पंजीयक ही शासकीय प्रतिनिधि होंगे।

अतः बैठकों में बैंक मुख्यालय के उप पंजीयक को आमंत्रित किया जावे तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को भी पृष्ठांकित किया जावे।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/267

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/1/2021

प्रतिलिपि:—

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, नवा रायपुर।
3. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़।
4. समस्त कक्ष प्रभारी, मुख्यालय।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़